सं.12013/1/2006-रा0भा0(प्रशि.)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त संगठनों /निगमों आदि के कर्मचारियों को " विभागीय प्रशिक्षण व्यवस्था " के अंतर्गत तथा " निजी प्रयत्नों से प्रशिक्षण" प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को हिन्दी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण और आशुलिपि की पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराना ।

.....

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है । हिन्दी शिक्षण योजना/केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिन्दी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण तथा आशुलिपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पाठ्य-पुस्तकें नियमित शिक्षार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रशिक्षण की समाप्ति पर वापस नहीं ली जाती हैं ।

2. कुछ समय से यह सुझाव सरकार के विचाराधीन था कि केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों, निकायों आदि के द्वारा स्वयं " विभागीय प्रशिक्षण व्यवस्था " के अंतर्गत चलाए जा रहे हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तथा "निजी प्रयत्नों से प्रशिक्षण " प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँ । इस सदंर्भ में अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त संगठनों/ निगमों/निकायों आदि के कर्मचारियों को उनकी " विभागीय प्रशिक्षण व्यवस्था " के अंतर्गत तथा "निजी प्रयत्नों से प्रशिक्षण " प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की पाठ्यपुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा **निम्नलिखित शर्तों पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँगी तथा प्रशिक्षण की समाप्ति पर वापस नहीं ली जाएँगीः-**

(क) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकों की मांग सत्र प्रारंभ होने से एक माह पूर्व संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक (हिंदी शिक्षण योजना) को करनी होगी ।

(ख) " विभागीय प्रशिक्षण व्यवस्था " या " निजी प्रयत्नों से प्रशिक्षण " प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए पुस्तकों की मांग स्वयं उनके द्वारा न करके उनके संबंधित कार्यालयों द्वारा की जाएगी । इस संबंध में उनके द्वारा एक प्रमाण-पत्र हिंदी शिक्षण योजना के संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशकों को देना होगा, जिसमें संबंधित कार्यालय को यह प्रमाणित करना होगा कि ये

पाठ्य-पुस्तकें " विभागीय प्रशिक्षण व्यवस्था " के अंतर्गत या " निजी प्रयत्नों से प्रशिक्षण "प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए मांगी जा रही हैं ।

(ग) सत्र समाप्ति के उपरांत संबंधित कार्यालय को यह प्रमाणित करना होगा कि मांगी गई पुस्तकों का यथोचित उपयोग हो चुका है । मांगी गई पुस्तकों में से यदि पुस्तकें शेष बच जाती हैं तो संबंधित कार्यालय या तो ये पुस्तकें सत्र की समाप्ति से पहले क्षेत्रीय उप निदेशक को वापस कर देगा या उनका उपयोग अगले सत्र में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए करेगा ।

(घ) शेष बची पुस्तकों को अगले सत्र में उपयोग करने की स्थिति में उसकी पूर्व जानकारी संबंधित कार्यालय क्षेत्रीय उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना) को देगा ।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय की दिनांक 19.5.2006 की टिप्पण डायरी संख्या 519/एफ.ए.(एच)/06 द्वारा दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है ।

हस्ता0

(विजयकुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त संगठनों/ निगमों आदि के ध्यान में लाएं ।)
2. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
4. केन्द्रीय सर्तकता आयोग, नई दिल्ली
5. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
7. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क ।
8. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/संसदीय राजभाषा समिति/क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय
9. गार्ड फाइल ।
10. 25 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

हस्ता0

(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार